

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक: प.4(1)वित्त/आब/2020

दिनांक: 23 मार्च, 2020

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर।

विषय:- आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2020-21 में संशोधन बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2020-21 हेतु आबकारी एवं मद्यसंयम नीति इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.02.2020 के द्वारा जारी की जा चुकी है साथ ही उक्त में पूर्व में समसंख्यक पत्र दिनांक 04.03.2020 से संशोधन जारी किए गए हैं। अब पूर्व में जारी आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2020-21 एवं संशोधन दिनांक 04.03.2020 के निम्नांकित बिन्दुओं पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


(5) रिटेल ऑन (Retail-on) : होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार :-

5.1. होटल बार :

5.1.1 सभी श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंभिक लाईसेन्स फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

(Rs. in Lacs)

SNO	Category	Basic Licence Fees for the year 2020-21 or part thereof		
1	2	3		
1	<u>Luxury Hotel/Train :-</u>			
	i. Five Star Hotel	16.00		
	ii Four Star Hotel	11.00		
	iii.Three Star Hotel	8.50		
	iv.Luxury Train	8.50		
2	<u>Other Hotels :-</u>			
	<u>Situated in and within</u>	Upto 50 Rooms	51 to 100 Rooms	More than 100 Rooms
	(i) Within urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Mount Abu, Jaisalmer; and limit up to 10 Kilometer periphery of Kumbhalgarh fort	8.00	10.00	15.00
	(ii) Within urbanisable limit of other Divisional/ District Headquarters, Bhiwadi UIT urbanisable limit; Ranakpur temple and Ranthambhor National park,s 5 kilometer periphery limit.	6.50	7.50	9.50
	(iii) Other areas not covered in above 2(i) & 2(ii)	3.00	3.50	4.00


23/03

3.

Heritage Hotel :-

<u>Situated in and within</u>	Upto 10 rooms	11 to 25 Rooms	More than 25 Rooms
(i) Within urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Mount Abu, Jaisalmer; and limit up to 10 Kilometer periphery of Kumbhalgarh fort .	3.00	3.50	4.00
(ii) Within urbanisable limit of other Divisional/ District Headquarters, Bhiwadi UIT urbanisable limit; Ranakpur temple and Ranthambhor National park.s 5 kilometer periphery limit.	1.50	2.50	3.50
(iii) Other areas not covered in above 3(i) and 3(ii)	0.75	1.25	1.75

5.1.2 हैरिटेज होटलों हेतु कमरों की संख्या का आगणन पुराने कमरों तथा नये कमरों की संख्या को जोड़कर माना जायेगा।

5.2. रेस्टोरेन्ट बार :


विभिन्न श्रेणी के रेस्टोरेन्ट्स के बार लाईसेन्स हेतु लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	श्रेणी	(राशि लाख रूपये में) वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रारम्भिक लाईसेन्स फीस
1	2	3
1	वे रेस्टोरेन्ट जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीकरण (urbanisable) योग्य सीमा में स्थित हो -	
	(अ) जयपुर/जोधपुर मुख्यालय	9.00
	(ब) अन्य जिला मुख्यालय तथा अन्य संभाग मुख्यालय एवं माउन्ट आबू एवं जैसलमेर के नगरकीरण योग्य सीमा एवं अन्य नगरपालिका, भिवाड़ी युआइटी क्षेत्र तथा कुम्भलगढ किले के 10 किमी परिधीय क्षेत्र	6.50
2	अन्य वे रेस्टोरेन्ट जो उपरोक्त (अ) से (ब) स्थानों में शामिल नहीं।	4.00

नोट :- उपरोक्त के क्रम में बार अनुज्ञाधारियों द्वारा पूर्व में वर्ष 2020-21 के लाईसेंस हेतु अधिक जमा की गई राशि रिफण्ड योग्य है।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के ऊपर अंकित प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें। आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2020-21 के शेष प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2020-21 एवं पूर्व संशोधनों के अनुसार होंगे।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति एवं इसके पश्चात जारी स्पष्टीकरण/संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में जारी किये जाने वाले नोटिफिकेशन के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करावें एवं उपरोक्तानुसार वर्ष 2020-21 हेतु आबकारी बंदोबस्त की कार्यवाही को अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण कर विभाग को सूचित करावें।

भवदीय,

 (डॉ० मृथ्वी) 23/03/20
 शासन सचिव, वित्त (राजस्व)